भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1156
(03 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा का कार्यान्वयन

1156. श्री शफी परम्बिलः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान वित्त वर्ष में मनरेगा के तहत पंजीकृत श्रमिकों की संख्या में कमी आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा श्रमिकों के कम पंजीकरण के क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसा भुगतान और सत्यापन प्रक्रिया के डिजिटलीकरण पर ध्यान केन्द्रित करने के कारण हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा श्रमिकों के समक्ष आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं उन्हें कम से कम सौ दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाता है। यह कोई बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका का एक विकल्प है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पंजीकृत श्रमिकों की कुल संचयी संख्या 25.68 करोड़ थी जबकि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 29.11.2024 की स्थिति के अनुसार यह संख्या 25.17 करोड़ है जो प्रगतिशील है क्योंकि महात्मा गांधी नरेगा योजना एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है और अधिनियम की अनुसूची II के पैरा 2 में यह उल्लिखित है कि ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी जांच करने के बाद, जैसा वह उचित समझे, आवेदन की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर जॉब कार्ड जारी करेगी।

(ग) और (घ): भुगतान और सत्यापन प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण पर ध्यान केंद्रित करने का उद्देश्य पारदर्शिता, दक्षता और समय पर मजदूरी के वितरण की प्रवृति को बढ़ाना है जिससे श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सके। इस परिवर्तन के दौरान आने वाली किसी भी

चुनौती का समाधान करने के लिए मंत्रालय स्थानीय शिकायत निवारण तंत्र, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और जमीनी स्तर पर सहायता प्रदान करके सहयोग प्रदान कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पात्र श्रमिक योजना और इसके लाभों का निर्बाध रूप से लाभ उठा सकें।

योजना के प्रावधानों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे (i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा), 2005 के प्रावधानों के व्यापक प्रसार के लिए दीवारों पर पेंटिंग सहित उचित सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान शुरू करें (ii) मांग पंजीकरण प्रणाली के दायरे और क्षेत्र का विस्तार करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महात्मा गांधी नरेगा के तहत कोई कार्य की मांग छूट न जाए (iii) जन भागीदारी के आधार पर योजनाएं तैयार करें और उन्हें ग्राम सभा से अनुमोदित कराएं (iv) 'रोजगार दिवस' का आयोजन करें।

******